देता है ।

J. व्यापार से जुड़े निवेश उपाय (Trade Related Investment Promotion Scheme : Trips)

इस समझौते में पाँच ऐसे निवेश उपाय जिन्हें सदस्य देश निवेशकों पर लगाते हैं । फिलहाल उन्हें वैसा करने से रोकने का प्रावधान है ।

K. बाजार प्रवेश वार्ताए (Market Access Negotiations)

इसके अन्तर्गत वर्ष 2000 के जनवरी महीने तक विकसित देशों को पाँच बराबर किश्तों में तट शुल्क में 40 प्रतिशत तथा विकासशील देशों को 30 प्रतिशत की कटौती करनी थी । इसके अतिरिक्त विकसित देशों को 99 प्रतिशत तथा विकासशील देशों को 73 प्रतिशत वस्तुओं को वद्ध कर की सूची में शामिल करने का प्रावधान था ।

वस्त्र तथा परिधान पर समझौता

इसमें सदस्य देशों, विशेषकर विकसित देशों द्वारा कृषि को दिये जाने वाले सब्सिडी को समाप्त करके उसके स्थान पर तट कर लगाने का प्रावधान है। इसके साथ इसमें तट कर में विकसित देशों को 36 प्रतिशत तथा विकासशील देशों को 24 प्रतिशत की कटौती करने का प्रावधान है ।

कृषि पर समझौता

इसमें विकासशील देशों पर लगाये गये 'कोटा प्रबंध' (Quota Restriction : QR) तथा 'मल्टी फाइबर एग्रीमेंट' के प्रभाव को चार चरणों में वर्ष 2000 तक समाप्त कर देने का प्रावधान था ।

सरकारी खरीद पर समझौता

इसके अन्तर्गत वस्तुओं की खरीद पर वादों के अनुसार अति कृपापत्र राष्ट्र तथा राष्ट्रीय व्यवहार का दर्जा दिलाने का प्रावधान है ।

सरकारी व्यापारिक उपक्रमों पर समझौता

यह समझौता सरकारी व्यापारिक उपक्रमों को अपनी गतिविधियों को व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की गतिविधियों के ऐसा बनाने की सिफारिश करता है ।

इसमें कामकाज की जानकारी विश्व व्यापार संगठन को दिये जाने की बात भी कही गयी है ।

सेवाओं के व्यापार पर आम समझौता (गैट्स)

इसके अन्तर्गत सेवाओं के व्यापार को गैट्स में शामिल किया गया है । यह सदस्य देशों को अति कृपापात्र राष्ट्र के सिद्धान्त, पारदर्शिता, अहताओं की परस्पर मान्यता इत्यादि को सुनिश्चित की सलाह सदस्य देशों को देता है।

इसके अतिरिक्त इसमें उदारीकरण वादों की देशवार सूची तैयार करने की बात कही गयी है ।

व्यापार से जुड़े बौद्धिक सम्पदा अधिकार (ट्रिप्स)

इसमें पेटण्ट, कॉपीराइट, ट्रेड मार्क, औद्योगिक डिजाइन, आई० सी० के लिए ले आउट, डिजाइन में भौगोलिक सूचना और अज्ञात सूचनाओं (Trade Secrets) जैसे बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था है ।

इसके अतिरिक्त इसमें सदस्य देशों द्वारा अति कृपापात्र राष्ट्र तथा राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धांतों का पालन तथा विकासशील देशों द्वारा पाँच वर्षों में तथा अल्प विकसि[illegible] द्वारा ग्यारह वर्षों में इन नियमों का पालन का प्रावधान था ।

L. पेटेण्ट पर समझौता

उत्पादन प्रक्रिया तथा उत्पाद दोनों को (20 वर्षों [illegible] देने का प्रावधान है ।

अलग बाध्यताकारी लाइसेंस अलग-अलग मान्यता में ही देना, **'माइक्रो ऑरगेनिज्म'** पर पेटेण्ट देना, प्रजातियों का संरक्षण पेटेण्ट या 'अपने प्रकार की अकेली व्यवस्था अथवा दोनों की व्यवस्था थी ।

M. कॉपी राइट

इसमें कॉपी राइट की परिभाषा को विस्तारित करके उसके प्रभाव की परिधि में सॉफ्टवेयर, साउण्ड रेकॉर्डिंग, फिल्म इत्यादि को शामिल किया गया है ।

कॉपी राइट इत्यादि का संरक्षण कम से कम 50 वर्षों, तथा फोटोग्राफी का संरक्षण 25 वर्षों के थे ।

N. ट्रेड मार्क

इसके प्रभाव परिधि में ट्रेड और सेवा मार्क शामिल हैं । इस मामले में संरक्षण सात वर्षों का (पुनर्नवीकरण अनन्त काल तक का प्रावधान है ।

O. औद्योगिक और ले आउट डिजाइन

मूल एवं नवीकृत औद्योगिक डिजाइन तथा आई० सी० के ले आउट डिजाइन शामिल है । संरक्षण की अवधि 10 वर्ष है ।

P. अज्ञात सूचनाएँ तथा ट्रेड सिक्रेट

इन्हें बौद्धिक सम्पदा नहीं माना गया है, परन्तु आपसी मान्यताओं द्वारा उन्हें भी संरक्षण दिलाने का प्रावधान है ।

Q. भौगोलिक सूचना

यह सदस्य देशों को ऐसे ट्रेड मार्क देने से रोकता है, जो वस्तुओं की भौगोलिक उत्पत्ति के बारे में सूचना देते हों जैसे 'शैम्पेन फ्रांस' से एक विशेष क्षेत्र की ओर इशारा करता है । उसी प्रकार 'दार्जिलिंग चाय' एक विशेष क्षेत्र की ओर इशारा करता है ।

7.4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव (Impact of World Trade Organisation on International Trade)

देशों की संसदों के ऐसा विश्व व्यापार संगठन एक विधि निर्माण करनेवाली संस्था नहीं है । तथापि इसके कंधों पर विश्व व्यापार को नियंत्रित तथा नियमित करने का भार है । यह इस दायित्व का निर्वहन सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों के बल-बुते पर करता है । किन मुद्दों पर समझौते हों तथा समझौता विशेष का क्या स्वरूप हो, इस पर सामान्य परिषद की बैठकों में निर्णय लिये जाते हैं । सामान्य परिषद द्वारा स्वीकृत समझौतों को, मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में रखा जाता है, जो इन्हें स्वीकृत अथवा अस्वीकृत दोनों कर सकता है । यही नहीं वरन् मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में स्वीकृत समझौतों की अन्तिम स्वीकृति (Ralification) का अधिकार सदस्य देशों की संसदों के हाथ में है । संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संधियों पर हस्ताक्षर करते समय यह शर्त लगाई है कि इन सभी संधियों को यू० एस० कांग्रेस से पारित करवाना होगा । यही नहीं यदि विश्व व्यापार संगठन की विवाद समाधान मशीनरी संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध कोई निर्णय देती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायाधीशों द्वारा इनकी समीक्षा की जायेगी । यदि न्यायाधीश उक्त निर्णयों को अनुचित ठहराते हैं, तो संयुक्त राज्य विश्व व्यापार संगठन से एक पक्षीय रूप से बाहर जाने का अधिकार रखता है ।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत सारे कानून जैसे यू० एस० व्यापार कानून की धारा 301 विश्व व्यापार सन्धि का उल्लंघन है । परन्तु विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान पैनल के इस पर विचार करने के बाद फैसला दिया कि उक्त कानून व्यापार संधि का उल्लंघन नहीं करता है । ऐसी कई गड़बड़ियों का उदाहरण

बीच असहमति से मुक्त नहीं थी। सितम्बर (10-14), 2003 में कैनकुन (मैक्सिको) में आयोजित बैठक (पाँचवीं) विकसित तथा विकासशील देशों के बीच भारी मतभेदों के कारण विफल हो गयी। भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों ने औद्योगिक देशों की कुत्सित इच्छाओं को सफलीभूत होने नहीं दिया। चूँकि कृषि तथा सिंगापुर को विश्व व्यापार संगठन की कार्य सूची में शामिल किये जाने के मुद्दों पर विकासशील देशों की बातें नहीं सुनी गयी, भारत, चीन, ब्राजील तथा दूसरे विकासशील देशों ने विकसित देशों का साथ देने से मना कर दिया। हांगकांग में दिसम्बर, 2005 में होने वाले मंत्री स्तरीय सम्मेलन का भी ऐसा ही कुछ होने के आधार हैं। स्पष्ट है कि विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देश अपने-अपने हितों की रक्षा करने में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि संगठन के कार्य कलापों में जटिलता आ गयी है।

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से विश्व के देशों में बहु-पक्षीय समझौतों के लागू होने से आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण तत्व भूमण्डलीकरण है। भूमण्डलीकरण के अन्तर्गत (i) व्यापार के अवरोधकों (Trade Barriers) को कम करना, जिससे विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का बेरोक-टोक आवागमन सम्भव हो सके, (ii) ऐसा माहौल बनाना, जिससे विभिन्न देशों के बीच पूँजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह (Freeflow) सम्भव हो, (iii) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना, जिससे प्रौद्योगिकी (Technology) का निर्बाध प्रवाह हो सके और (iv) ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिससे विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का बेरोक-टोक आवाजाही हो सके, शामिल हैं। विकसित देश भूमण्डलीकरण की परिधि में केवल पहले तीन को शामिल करते हैं। चौथा, जो विकासशील देशों के लिए अत्यन्त महत्व का है, उसे वे भूमण्डलीकरण की परिधि के बाहर रखना चाहते हैं। विगत् दो दशकों के दौरान विकसित देशों, विशेषकर यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का यह प्रयास रहा है कि विकासशील देश यह स्वीकार कर लें कि इनके व्यापार व्यवहार में कोई खोट नहीं है और कि भूमण्डलीकरण से विकासशील देशों की स्पर्द्धा शक्ति में वृद्धि होगी तथा उनका आर्थिक विकास तीव्रगति से होगा। इस प्रकार विकसित देश विकासशील देशों को बहला-फुसला कर अथवा उन पर दबाव डाल कर ऐसे मुद्दों पर समझौता करने के लिए प्रेरित करते हैं जिनसे उनका नहीं, विकसित देशों को लाभ पहुँचाने वाले हों।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश (Market Access) सुनिश्चित करने के लिए विकसित देश, विकासशील देशों पर दबाव डालते रहते हैं। आयातित वस्तुओं के प्रवेश को सरल बनाने के लिए आवश्यक है कि सीमा शुल्क (Tariff) की कटौती हो। सीमा शुल्क कम करने का अर्थ है मुक्त व्यापार को प्रेरित करना। इसके साथ-साथ अनुमान्य व्यापार प्रणाली प्रवृत्त (Introduce) करने के लिए तटकरों को एक निश्चित सीमा पर लाकर बद्ध (Fixed) कर देने का प्रावधान है और इसके साथ अधिक से अधिक वस्तुओं को बद्ध तटकरों वाली वस्तुओं की सूची में जोड़ने का भी प्रावधान है। ये दोनों उरुग्वे सम्मेलन की महत्वपूर्ण देन हैं। बाजार प्रवेश के नियमों के क्रियान्वयन से सरकारी खरीद प्रतिष्ठानों के अस्तित्व को मान्यता मिल जाती है। ज्ञातव्य है कि सरकारी खरीद प्रतिष्ठानों के पास एकाधिकार (Monoploy) रहता है जिसका दुरुपयोग करते हुए अपने पक्षपातपूर्ण रवैये से वे कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय मूल्यों को आसानी से प्रभावित कर पाते हैं। तटकर कम अथवा बद्ध होने पर घरेलु उत्पादों को स्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है। आयात कर (Import Duty) लगाकर घरेलू उत्पादों को संरक्षण देने की व्यवस्था नहीं रहने पर घरेलू उत्पादों को विदेशी वस्तुओं के साथ स्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप कमजोर औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द होने लगते हैं। बद्ध तटकरों सम्बन्धी समझौते के क्रियान्वयन करने पर दूसरी वस्तुओं के साथ-साथ लघु (S Scale) उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों में से अधिकांश मुक्त व्यापार श्रेणी अथवा बद्ध तटकर सूची में शामिल किये जाते हैं। इस परिस्थिति में वैसे ही उद्यम बन्द नहीं होते अथवा प्रगति करते हैं जो घरेलू बाजार के लिए करते हैं अथवा जिनकी दृष्टि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर टिकी होती है।

प्रतिरोधात्मक व्यापार समझौते के अन्तर्गत अतिकृपापात्र राष्ट्र तथा राष्ट्रीय व्यवहार की नीतियों को समाप्त शामिल हैं। अति कृपापात्र राष्ट्र नियम यह है कि यदि कोई देश किसी एक देश को कोई व्यापारिक सुविधा (ढ़ील

देता है तो उसे वैसी सुविधा सभी सदस्य देशों को देनी पड़ेगी । राष्ट्रीय व्यवहार का अर्थ है कि किसी प्रकार की सुविधा देने तथा रोक लगाने में घरेलू तथा बाहर से आनेवाली (आयातित) वस्तुओं के बीच किसी प्रकार का भेद-भाव सदस्य देश नहीं कर पायेंगे । इन प्रावधानों का पालन करने तथा दूसरे मात्रात्मक (Quantitative) प्रतिबंधों को हटा लेने पर विश्व बाजार विस्तारित हो जायेगा जिसका लाभ विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देशों को मिलेगा । इसका दूसरा पक्ष यह है कि मात्रात्मक ढील व्याप्त हो जाने पर घरेलू बाजार में विदेशी वस्तुओं का ढेर लग जाता है । भारतीय बाजार में चीनी उपभोक्ता वस्तुओं का बाहुल्य तथा पुरानी कारों का बेरोक-टोक आगमन इसके उदाहरणस्वरूप उद्धृत किये जा सकते हैं । मात्रात्मक प्रतिबंध (Quota Restriction) समाप्त होने का दूसरा तात्पर्य यह है कि कोई भी सदस्य देश अपनी वस्तुओं को केवल वैसे देशों में भेज पायेगा जिसमें वह तुलनात्मक दृष्टि से लाभ कमाने की स्थिति में होगा । ऐसी स्थिति में निर्यातक देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धा कई गुना बढ़ जाती है । उल्लेखनीय है कि एक ओर कोटा प्रणाली समाप्त हो रही है तो दूसरी ओर डंपिंग रोकने उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने, पर्यावरण संरक्षण करने इत्यादि को बहाना बनाकर कोटा के स्थान पर गैर तटकर अवरोध (Non-Tariff Restrictions) तेजी से लाये जा रहे हैं । सब कुछ हो रहा है, परन्तु विभिन्न देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पूँजी और प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है । निष्कर्ष यह निकलता है कि विकसित देश भूमण्डलीकरण का उपयोग केवल अपने स्वार्थ साधने के लिए कर रहे हैं ।

टेक्सटाइल तथा परिधान समझौते के कार्यान्वयन का हाल यह है कि विकसित देश घरेलू उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के संरक्षण देकर विदेशी, विशेषकर विकासशील देशों के टेक्सटाइल उत्पादों को अपने बाजार में पहुँचने नहीं देते हैं । इनके कई रूप हैं । विकसित देश डंपिंग रोधी क्रियाओं अथवा एक-पक्षीय (Unilateral) ढंग से नियमों में परिवर्तन करके अथवा पर्यावरण संरक्षण में बाधा आने को बहाना बना कर विकसित देशों की स्पर्द्धाशक्ति (Power to compete) को कम करते रहते हैं । ये सभी उपाय विकसित देशों में घरेलू उद्योग इकाइयों की सुरक्षा के लिए किये जाते हैं, जिनके फलस्वरूप विकासशील देशों के टेक्सटाइल वस्तुओं के निर्बाध प्रवाह (Free flow) के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं । जब विकासशील देशों से आयात संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तो वह आयातों जैसे भारत के कालीनों, रसायन, हस्तशिल्पों, विनिर्मित परिधान, पर रोक लगाने के लिए पर्यावरण तथा मानव अधिकारों (बालश्रम) संबंधी बातें उठाते हैं ।

विकसित देशों ने अपने घरेलू टेक्सटाइल वस्तुओं का कोटा कम करने के लिए 10 वर्षों की लम्बी अवधि का प्रावधान रखा है, जबकि विकासशील देशों को तट कर, मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों इत्यादि को तुरन्त लागू करने के लिए दबाव डालते रहते हैं ।

कृषि पर हुए समझौतों ने कुछ कटु सत्यों को उद्घाटित किये हैं । पहली बात तो यह है कि विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देशों में कृषि उद्योग को पारदर्शी बनाने की इच्छाशक्ति की कमी देखी जाती है । दूसरी कि विश्व व्यापार संगठन का उपयोग उदारीकरण के लिए नहीं, उदारीकरण की प्रक्रिया के मार्ग में अवरोध खड़ा करने के लिए किया जा रहा है ।

कृषि पर संधि विकासशील देशों का पक्ष मजबूत करने का दिखावा भर है । वास्तविकता यह है कि इसके कार्यान्वयन से विकासशील देशों की कृषि पर कुप्रभाव पड़ रहा है । विकसित देश कृषि क्षेत्र में निर्यात सब्सिडी तथा घरेलू सब्सिडी दोनों देते हैं । इस समझौते के अनुसार विकसित देशों को सब्सिडियों को छः वर्षों में 20% कम करना है, जब कि विकासशील देशों को 10 वर्षों में 13 प्रतिशत कम करना है । परन्तु विकसित देश 'ग्रीन बॉक्स' तथा 'ब्लू बॉक्स' सब्सिडियों के अन्तर्गत अपनी-अपनी कृषि को सहायता दे रहे हैं । 'ग्रीन बॉक्स सब्सिडी' के अन्तर्गत सरकारों द्वारा सेवाओं पर खर्च की गयी राशि, अनुसंधान, रोग नियंत्रण, आधारभूत संरचना तथा खाद्य सुरक्षा पर खर्च की गयी राशियाँ सम्मिलित की जाती है । ये वे राशियाँ हैं, जिनके प्रत्यक्ष भुगतान से किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं और पर्यावरण संरक्षण तथा नियमित सहायता प्रोग्रामों में अप्रत्यक्ष खर्च, जिनसे उन्हें अप्रत्यक्ष सहायता मिलती है । इस सहायता के प्रभाव की परिधि अति विस्तारित है । 'ब्लू बॉक्स' सहायता के अन्तर्गत किसानों को दिये

गये कुछ ऐसे भुगतान आते हैं जो या तो उन्हें उत्पादन सीमित (कम) करने के लिए दिये जाते हैं या सरकारों द्वारा विकासशील देशों में कृषि एवं ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दिये जाते हैं । इन सब्सिडियों को समाप्त करने संबंधी घोषणा-पत्र का जो संशोधित मसौदा 14 सितम्बर 2003 को वितरित किया गया था उसके बारे में भारत सहित विकासशील देशों ने कहा कि यह एकपक्षीय है तथा केवल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ का समर्थन करता है ।

उल्लेखनीय है कि घरेलू समर्थन सहायता के तर्ज पर विकासशील देशों को अपने नाममात्र निर्यात सहायता को बढ़ाने का अधिकार नहीं है, जबकि विकसित देशों को अपने आधारभूत सहायताओं को 64 प्रतिशत तक कायम रखने का अधिकार दिया गया है । परिणाम स्वरूप विकसित देशों से आयातित कृषि जन्य वस्तुओं का मूल्य विकसित देशों के बाजारों में अपने-अपने घरेलू कृषि उत्पादों के प्रचलित मूल्य से कम रहते हैं । इसका मुख्य कारण को समझने के लिए देखना पड़ेगा कि कैसे प्रत्येक अमेरिकी किसान को फिलीपीन्स के मक्का पैदा करनेवाले किसान की तुलना में 100 गुनी अधिक सहायता राशि प्राप्त होती है । निस्कर्ष निकलता है कि कृषि पर उरुग्वे दौर की संधि के कार्यान्वयन से कुछ अन्तर पड़ने वाला नहीं है । विचित्र बात यह है कि कृषि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एकमात्र क्षेत्र है जिसमें डंपिंग को वैद्य व्यापार व्यवहार माना जाता है ।

यदि कोई देश देशी उत्पादों को घरेलू बाजार में प्रचलित उनके मूल्य अथवा उसके उत्पादन लागत (Cost Price) मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री करता है तो आयातक देश में वैसे उत्पादों की डंपिंग माना जाता है । डंपिंग रोधी समझौते में ऐसी सब्सिडी को बन्द करने का प्रावधान है । यदि उससे उक्त उत्पाद को अनुचित लाभ मिल रहा हो अथवा उससे किसी विदेशी बाजार में डंपिंग की स्थिति उत्पन्न होती है ।

अधिक प्रतिस्पर्धात्मिक व्यापार प्रणाली पर समझौते के अन्तर्गत निर्यात की वस्तुओं को दिये जानेवाले सब्सिडी को कम करने का प्रावधान है ।

सेफगार्ड उपायों पर समझौते के अन्तर्गत आयातक देशों को थोड़े समय के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु वे ऐसा तव कर सकते हैं जब आयात से घरेलू उद्योगों को गम्भर क्षति पहुँचने की सम्भावना दीख पड़ती हो । दूसरा शर्त यह है कि उन्हें आयात के सभी स्रोतों अर्थात् सभी निर्यातकों पर समान प्रतिबंध लगाना होगा । वैसे प्रतिबंध नये उद्योगों को विकसित ॱॱने का मौका देने के लिए भी लगाये जा सकते हैं ।

7.5 विश्व व्यापार संगठन का भविष्य (Future of World Trade Organisation)

सामान्य परिषद की बैठक में समझौते का मसौदा पारित हुआ था, अर्थात् जुलाई, 2004 'फ्रेमवर्क' को दिसम्बर 2005 के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में पारित किये जाने की सम्भावना से यह आशा कि आंशिक अथवा पूर्ण रूप से विश्व व्यापार संगठन में किसी प्रकार की सुधार लायी जा सकती है, जिससे यह विकासशील देशों के हितों की रक्षा कर सके, समाप्त हो गयी है । यह मसौदा विकसित देशों की कुत्सित इच्छाओं के सामने विकासशील देशों की सभी मुख्य चिंताओं (Concerns) को गौण कर दिया है । कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों और जन (सार्वजनिक) स्वास्थ्य संबंधी बातों को पेटेण्ट अधिकार के ऊपर प्राथमिकता देना अथवा कृषि बाज़ार प्रवेश संबंधी नियमों में सुधार लाने इत्यादि की चर्चा नहीं की जाती है ।

औद्योगिक देशों की पहली चिंता कृषि को दिये जानेवाली सहायता (Subsidy) की ऊँची दर को बनाये रखना है । यह मसौदा या तो ऊँची दर को बनाये रखने या फिर विस्तारित करने का अवसर उन्हें प्रदान करता है । इस मसौदे की सहायता से यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ब्लू बॉक्स तथा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के माध्यम से कृषि सहायता को कायम रख सकेंगे । विकसित देशों की दूसरी चिंता कृषि के परे (Non-Agricultural) वस्तुओं पर के तट करों को कम करना है । इस समझौते में 'संसिटीभ उत्पाद' के नाम से वस्तुओं की एक नयी श्रेणी बनाने का

सहायता को कायम रख सकेंगे । विकसित देशों की दूसरी चिंता कृषि के परे (Non-Agricultural) वस्तुओं पर के तट करों को कम करना है । इस समझौते में 'सेंसिटीभ उत्पाद' के नाम से वस्तुओं की एक नयी श्रेणी बनाने का प्रावधान है । इससे प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची लम्बी हो जायेगी अर्थात् विकसित देश विकासशील देशों की वस्तुओं को अपने बाजारों में प्रवेश करने से रोक पायेंगे । इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय संघ की सहायता करना है। इसके द्वारा यूरोपीय संघ अपने 20 से 40 प्रतिशत उत्पादों को महत्वपूर्ण तट कर कटौती से बचाने में सफल होगा । औद्योगिक देशों की चिन्ता तथाकथित नये मुद्दों को आगे बढ़ाना तथा विकासशील देशों द्वारा सेवाओं का उदारीकरण कराना है । यह मसौदा कुछ शर्तों के साथ निर्यात सब्सिडी को कम कराने का तो वादा करता है परन्तु इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं करता है ।

यह मसौदा 'विशेष उत्पाद (Special Product) और दूसरे प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहारों को बन्द करने संबंधी विकासशील देशों की मांगों की अनदेखी करता है । इसने 'ग्रीन बॉक्स' तथा 'ब्लू बॉक्स' सब्सिडियों की ऊपरी सीमा तय नहीं किया है जिससे विकसित देशों को इन सब्सिडियों को विस्तारित करने का अवसर मिल जाता है।

जुलाई 'फ्रेमवर्क' विकासशील देशों के 'विशेष उतपादों' की एक ऐसी श्रेणी बनाया है जिस पर निम्न दर से तट कर लगाने का प्रावधान है । इसके साथ इसमें विशेष 'सेफगार्ड' का उपाय करने का भी प्रावधान है जिसकी सहायता से विकासशील देशों की वस्तुएँ विकसित देशों की सहायता प्राप्त (Subsidised) वस्तुओं के साथ स्पर्धा कर पायेंगे । बड़ी बात यह है कि इन प्रावधानों के कार्यान्वयन को आगे की बातचीत की परिधि में डाल दिया गया है । दूसरी ओर वर्त्तमान कृषि 'सेफगार्ड', जिसका उपयोग विकसित देश विकासशील देशों के उत्पादों के बाजार प्रवेश को बाधित करने में करते आ रहे हैं, पर विकासर्शाल देशों की मांग के बावजद रोक नहीं लगाया है ।

इस मसौदे में ऊँची दर के तट करों की अधिकाधिक कटौती कराने का प्रावधान हं । इसके अन्तर्गत विकासशील देशों को अपने तट करों में अधिक कटौती करनी पड़ेगी क्योंकि उनके तट करों की वर्तमान दर ऊँची है ।

निवेश, स्पर्धा नीति और सरकारी खरीद को विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित करने को विकासशील देश जोरदार विरोध करते हैं । यदि व्यापार सुविधाओं को बातचीत में शामिल कर दिया जायेगा तो ये मुद्दे सामने आ जायेंगे ।

जुलाई 'फ्रेमवर्क' विकासशील देशों को व्यापार तथा सेवाओं पर सामान्य समझौता (General Agreementon trades and services, Gats) की बातचीत के दौरान अपना पक्ष रखने की संभावना को कम कर देता है । पहले व्यापार और सेवाओं पर अलग-अलग बातचीत होती थी । यह मसौदा इन दोनों को जोड़कर एकीकृत मुद्दा बना दिया है । इस प्रकार यह अपनी सेवा सेक्टर को खोल देने (To open up) के लिए विकासशील देशों पर दबाव डालने का प्रयास किया है । वास्तव में जुलाई फ्रेमवर्क का उद्देश्य ही विकासशील देशों को बाध्य करना है कि वे मई 2005 तक यह स्पष्ट कर दें कि वे अपनी किन-किन सेवाओं को विदेशियों के लिए खोलना चाहते हैं। दोनों बातचीत को एक साथ जोड़ने के पीछे यह मनसा भी है कि यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके माध्यम से एक सेक्टर में दी गयी सुविधाओं के कारण हुई क्षति भरपाई दूसरे सेक्टर ... लाभ कमाकर कर सकें।

वर्त्तमान में सेवा सेक्टर विकासशील देशों की सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में 50 प्रतिशत का योगदान देता है । इस दृष्टि से सेवा बाजार में विकासशील देशों के प्रवेश 'फ्रेमवर्क' की चिन्ता सबसे बड़ी बात होनी चाहिए थी । परन्तु जुलाई 'फ्रेमवर्क' 'नेचुरल पर्सन' की आवाजाही, जो विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है, की अनदेखा करता है । इस मामले में बड़े विकसित देशों का रवैया दलपूर्ण है, जिसके कारण 18 विकासशील देशों के गुट ने 'नेचुरल पर्सन' की परिभाषा में अस्पष्टता तथा पूर्वानुमान करने की क्षमता की कमी और सेवा सेक्टर को खोलने संबंधी 'ऑफर' (Offer) के साथ संलग्न प्रतिबंधों की निन्दा की है ।

यह मसौदा आर्थिक आवश्यकता परीक्षण (Economic Necessity Test) को महत्व देता है, परन्तु 'वीसा' (Visa) और 'वर्क परमिट' (Work Permit) निर्गत करने के नियमों में पारदर्शिता (Transparency) के अभाव में

दोहा घोषणा पत्र (2001) के ऐसा जुलाई 'फ्रेमवर्क' (2004) भी जीवन का पेटेण्ट करने पर रोक लगाने, और 'ट्रिप्स' (Trips) तथा 'बायोडाइवरसिटी' सम्मेलन के बीच के संवंध तथा पारम्परिक ज्ञान और 'फोकलोर' को संरक्षण देने के उद्देश्य से बौद्धिक सम्पदा अधिकार समझौते को संशोधित करने की बात तो करता है, परन्तु यह ऐसी बातचीत को जारी रखने का केवल निश्चय प्रकट करता है, जिसका सिवाय इसके कि विकासशील देशों को अपने 'ऑफर' मई 2005 तक जमा करने के लिए फुसलाया या दबाया जाये कोई लक्ष्य (Goal) नहीं है। ट्रिप्स के संशोधन के बारे में, जिससे जन स्वास्थ्य को बौद्धिक सम्पदा अधिकार के ऊपर प्राथमिकता मिल सकता है, कोई दिशा निर्देश इस 'फ्रेमवर्क' में नहीं है।

स्पेशल तथा डिफरेनशियल ट्रिटमेंट समझौता, जो विकास (Development) का मुख्य सिद्धांत है को संस्था का रूप देना, पहले ही जैसा, उपेक्षित रह गया है। जुलाई 'फ्रेमवर्क' इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का वादा तो करता है, परन्तु, चूँकि विकसित देश एस०डी०टी० समझौते को तबतक लागू करने से मना करते हैं जबतक अधिक प्रगति कर रहे विकासशील देश इसके प्रभाव क्षेत्र के बाहर नहीं कर दिये जाते हैं, यह इसके कार्यान्वयन के ठंढ़े बस्ते में न डाल देने की प्रवृत्ति दिखाता है। कुछ विकासशील देशों को एस०डी०टी० के प्रभाव क्षेत्र से बाहर रखना कतई सही नहीं हो सकता, क्योंकि सभी विकासशील देशों को इसकी आवश्यकता है। विकासशील खेमे में व्यापक गरीबी रहने तथा बाल (Infant) उद्योगों को संरक्षण देने की अनिवार्यता होने के कारण उनमें से किन्हीं को भी एस०डी०टी० के बाहर रखना उन्हें मुसीबत में झोंकने के जैसा होगा।

जटिल प्रक्रिया तथा व्यापार संबंधी अपनी नीति अथवा नियमों को विश्व व्यापार संगठन के नियमों से संगत बनाने की उच्च लागत की अपेक्षा अधिकांश विकासशील देशों के लिए कार्यान्वयन की समस्या अधिक महत्वपूर्ण है। फिर भी, कार्यान्वयन संबंधी किसी बात का उल्लेख जुलाई 'फ्रेमवर्क' में नहीं है। इसके विपरीत यह शराब के अतिरिक्त दूसरे उत्पादों पर भौगोलिक संकेत (Geographical Indication : GI) लगाने संबंधी विस्तारित प्रावधान का उल्लेख जुलाई 'फ्रेमवर्क' स्पष्ट शब्दों में करता है। यह विकसित देशों को लाभ पहुँचाने के लिए है।

जुलाई 'फ्रेमवर्क' दिसम्बर 2005 में हांगकांग में मंत्री स्तरीय सम्मेलन के सामने रखा जानेवाला है। वर्तमान संकेतों के अनुसार विकासशील देश, विशेषकर दक्षिणी देश, इस पर अड़ंगा लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय मजदूर तथा भारतीय किसान संघों ने हाल में मत व्यक्त किया है कि पेटेंट कानून से किसानों को मिलने वाली सब्सिडी समाप्त जो जायेगी। जिससे भारतीय कृषि का विकास तथा कृषि अन्य उत्पादों का निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतएव दिसम्बर 2005 में हांगकांग में होने वाले विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन में भारत को अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए और यदि असली बात नहीं मानी जाये तो उसे अपने को संगठन से अलग कर लेना चाहिए। स्पष्ट है कि हांगकांग सम्मेलन विफल होगा। विकसित तथा विकासशील देशों के बीच खींचातानी में विश्व व्यापार संगठन का भविष्य उलझ गया हुआ दीख पड़ता है।